न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 07/2018

अपीलांट

मांगीलाल पुत्र श्री केरारामजी, उम्र 80 वर्ष, जाति सीरवी, निवासी किरवा तहसील रानी, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. मंदिर चारभुजाजी जरिये अध्यक्ष घीसालाल अध्यक्ष श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट, ग्राम किरवा, तहसील रानी, जिला पाली।
2. मंदिर श्री चारभुजाजी जरिये सचिव मनोहरदास सचिव श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट, ग्राम किरवा, तहसील रानी जिला पाली(राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री लक्ष्मण के चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री जगदीश प्रजापत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26.04.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 07/2016 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर मौजा ग्राम किरवा के खसरा नंबर 396 में आने जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 395 में से नया रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकर किया जाकर जैर अपील आदेश द्वारा अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा 395 की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे रेस्पोडेन्टगण को रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में भूमि डोली बनाम मंदिर चारभुजाजी दर्ज है एवं हनुमानजी का मंदिर बताया है। किन्तु मौके पर संबधित आर. आई की जांच रिर्पोट मे किसी प्रकार का कोई हनुमानजी का मंदिर स्थित होना प्रकट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब में खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नंबर 395 के दक्षिणी माठ के आगे खसरा नंबर 378 व 379 की भूमि होना बताया है एवं उक्त दोनो खातेदारो की भूमि से आधा आधा रास्ता दिये जाने बाबत निवेदन किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का आर.आई द्वारा जो जांच रिर्पोट प्रस्तुत की गई है। उक्त जांच रिर्पोट किसकी मौजूदगी मे बनाई गई इसका कोई उल्लेख नहीं है। एवं न ही जांच के समय अपीलांट को कोई नोटिस दिया गया। उक्त मौका रिर्पोट अपीलांट की अनुपस्थिति में पूर्णतया एकतरफा बनाई गई है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलांट को खातेदार बनाते हुए अपीलांट की आराजी से रास्ते की मांग की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण रास्ता खसरा नंबर 395 की भूमि से होकर दिया गया है। जिसका फायदा खसरा नंबर 378 व 379 के खातेदारो द्वारा लिया जायेगा। जबकि खसरा नंबर 378 व 379 के खातेदारान् द्वारा रास्ते के संबध में कोई आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना में रेस्पोडेन्टगण द्वारा खसरा नंबर 395 में से खसरा नंबर 396 में आने जाने हेतु पूर्व में चालू रास्ते का उपयोग–उपभोग करना जाहिर किया है जबकि कानूनन धारा 251ए (1) के तहत पूर्व में चालू रास्ते का नये रूप में तरमीम नहीं किया जा सकता है। उक्त कानून के तहत मात्र नया रास्ता ही दिया जा सकता है। अगर रेस्पोडेन्टगण की उक्त कथन को माना जाये तो ऐसे प्रार्थना पत्र की सुनवाई इज्मेन्टरी राईट सुखाधिकार के तहत सिविल कोर्ट में तय किया जाना चाहिये। क्योंकि उक्त रास्ता मंदिर आबादी क्षेत्र में है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र खसरा नंबर 378 व 379 के खातेदारो का फायदा पहुचाने की मंशा से अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर मौजा ग्राम किरवा के खसरा नंबर 396 में आने जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 395 में से नया रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकर किया जाकर जैर अपील आदेश द्वारा अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा 395 की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे रेस्पोडेन्टगण को रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान किया। जो कि विधिसम्मत है। अपीलांट के खसरा नंबर 395 में आने जाने हेतु पूर्व कही वर्षो से रास्ता विघमान है। एवं खसरा नंबर 396 में वर्षो पूर्व हनुमानजी का मंदिर बना हुआ है। एवं उक्त मंदिर तक जाने हेतु समस्त ग्रामवासी खसरा नंबर 395 में से होकर ही आते–जाते रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। माननीय राजस्व मंडल एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अपने विनिर्णयनो में यह प्रतिपादित किया है कि जहां प्रकरण गुणवागुण पर मजबूत हो तो ऐसे प्रकरणो को केवल म्याद के बिन्दु पर निर्णीत किया जाना न्यायोचित नहीं है। हस्तगत प्रकरण गुणवागुण पर मजबूत होने से प्रकरण को गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमन अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद शुमार की जाती है। अब जहां तक प्रकरण में गुणवागुण पर निर्णय पारित करने का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अपनी खातेदारी आराजी मौजा ग्राम किरवा के खसरा नंबर 396 में आने जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 395 में से नया रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकर किया जाकर जैर अपील आदेश द्वारा अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा 395 की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे रेस्पोडेन्टगण को रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान किया। हस्तगत प्रकरण में जैर अपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिर्पोट दिनांक 19.03.2017 के आधार पर पारित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में उक्त मौका रिर्पोट मंगवाने का कोई आदेश नहीं है। साथ ही उक्त मौका रिर्पोट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए की उपधारा (1)के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नंबर 396 में हनुमानजी का मंदिर बताते हुए अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 395 से रास्ते प्रदान करने का निवेदन किया, किन्तु मौके पर संबधित आर.आई की जांच रिर्पोट मे किसी प्रकार का कोई हनुमानजी का मंदिर स्थित होना प्रकट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नंबर 395 में आने–जाने हेतु पूर्व में चल रहे रास्ते का हवाला देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए की उपधारा (1) के तहत रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया। इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की उपधारा (1) के तहत नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग का विस्तारित करने या चौडा करने का अधिकार मंजूर किये जाने का प्रावधान है न कि पूर्व में चालू रास्ते को नये रूप में तरमीम करने का प्रावधान है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रावधानो का बिना अवलोकन किये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में समर्थन योग्य प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा उपखंड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व विविध संख्या 07/2016 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2017 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली